निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 18 / 2024
दायरा दिनांकः–13.06.2024
निर्णय दिनांकः– 3.12.24

उनवान

ताराचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति खाती निवासी बटावदा ऊँचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 3.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री मुकेश कुमार शर्मा – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम बटावदा ऊँचा तहसील छबड़ा में खाता संख्या 100 में भूमि खसरा नं० 407 रकबा 1.4038 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन आबादी सम्वत् 2012–2039 तक की खतौनी बंदोबस्त में दर्ज चली आ रही उसके साथ ही खाता संख्या 100 में अन्य खसरा नं० में भूमि खाल–खदड़, रास्ता, गैरमुमकिन चाह, पहाड़, खलियान, आबादी, तालाब, पाल, में दर्ज जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड में चली आ रही है। खसरा नं0 407 रकबा 1.4038 हैक्टेयर भूमि अन्य खसरा नं० के साथ होने से राजस्व अधिकारियो द्वारा उसकी किस्म पर कोई ध्यान ना देकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में हल्का पटवारी ने सहवन से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गई है, ग्राम पंचायत कडैयानोहर के द्वारा सम्वत् 2012–2039 की जमाबन्दी के अनुसार ग्राम वासियान बटावदा ऊँचा को खसरा नं0 407 रकबा 1.4030 हैक्टेयर भूमि में आवासीय भूमि का पट्टा जारी कर दिये गये है। जिसमें कुछ ग्राम वासियों द्वारा उपपंजीयक अधिकारी छबड़ा के यहाँ पंजीयन करवा लिया गया है। ग्राम पंचायत कडैयानोहर द्वारा प्रार्थी को भी आवासीय पट्टा दिनांक 20.12.2002 को भूमि खसरा नं0 407 रकबा 14038 हैक्टेयर में 20×30=600 वर्गफुट का आबादी भूमि विकय विलेख (पट्टा) जारी कर दिया गया। परन्तु पैसो की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रार्थी उक्त पट्टे का विक्रय विलेख का पंजीयन नहीं करवा सका और अपने पास ही सुरक्षित रख लिया गया। जब प्रार्थी के पास पैसो की व्यवस्था होने के बाद पंजीयन कार्यालय में सम्पर्क

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

करने पर पता चला की भूमि खाता संख्या 100 की खसरा नं0 407 रकबा 1.4038 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी में सहवन से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गई है। प्राथर्थी को उक्त भूमि पर जारी किये गए पट्टे का पंजीयन करवाने बैंक से लोन लेने राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि खसरा नं0 407 रकबा 1.4038 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त पट्टे का पंजीयन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने कई बार राजस्व अधिकारियो व कर्मचारीयों, हल्का पटवारी व तहसीलदार साहब छबड़ा से उक्त खाता संख्या 100 में भूमि खसरा नं0 407 रकबा 1.4038 हैक्टेयर में उक्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी में दर्ज करने की कहा मगर सभी ने आनाकानी कर मना कर दिया तथा प्रार्थी ने राजस्व रिकोर्ड में खाता संख्या 100 खसरा नं 407 रकबा 1.4038 हैक्टेयर भूमि दुरस्ती बाबत् एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब छबड़ा को पेश किया, जिन्होने हल्का पटवार से रिपोर्ट मांगी। हल्का पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में खसरा नं0 407 रकबा 1.4038 हैक्टेयर में दुरस्ती का नामांतरण दिनांक 27.09.2023 को तहसीलदार निरस्त कर दिया गया। उक्त दुरस्ती नियमित वाद से ही करना संभव पाया व प्रार्थी को श्रीमान न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की हिदायत देने के कारण यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद श्रीमान न्यायालय में पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में फोटो प्रति आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) नकल आवासीय भूमि का पट्टा नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदा ऊँचा सम्वत् सम्वत् 2075–78 संख्या संख्या 1 नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 99 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बटावदा उचा तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी सम्वत् 2012–39 तक खतोनी बन्दोबस्त में गैर मु. आबादी दर्ज थी। खसरा नम्बर 407 किस्म गैर मु. आबादी के साथ अन्य खसरा नम्बरान की किस्म अलग–अलग थी। खसरा नम्बर 407 के साथ अन्य खसरा नम्बर होने से किस्म पर कोई ध्यान नही दिया और सहवन से जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में खसरा नम्बर 407 की किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज हो गई। सरपंच द्वारा सम्वत् 2012–39 की जमाबन्दी के आधार पर खसरा नम्बर 407 रकबा 1.4030 है0 भूमि में आवासीय पट्टा जारी कर दिये गये जिसमें कुछ ग्राम वासियों द्वारा पंजीयन करवा लिया है सरपंच द्वारा प्रार्थी को भी दिनांक 20.12.2002 को 20X30 = 600 वर्गफुट का आबादी हेतु पट्टा जारी कर दिया परन्तु प्रार्थी द्वारा पट्टा पंजीयन नही कराया। प्रार्थी द्वारा अब पंजीयन कराने के लिए तहसील कार्यालय में सम्पर्क किया तब जाकर पता चला कि भूमि की किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज है भूमि गैर.मु. रास्ता दर्ज होने के कारण पंजीयन कराने में परेशानी आ रही है बिना पंजीयन कराये प्रार्थी बैंक से क्रय व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड रहा है सेटलमेन्ट के बाद किस्म में की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 20.12.2002 सरपंच ग्राम पंचायत कडैयानोहर द्वारा खसरा नम्बर 407 में 20X30 = 600 वर्गफिट ताराचन्द पुत्र मदनलाल खाती को जारी किया गया। नकल आवासीय भूमि पट्टा दिनांक 05.01.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत कडैयानोहर द्वारा विष्णुप्रसाद पुत्र रमेशचन्द गौड को खसरा नम्बर 407 में 20X40 = 800 वर्गफिट जारी किया गया। जिसे उप पंजीयन छबडा से रजिस्टर्ड करवाया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम बटावदा उचा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 01 मे खसरा नम्बर 407 रकबा 1.4038 है0 गैर मु. रास्ता दर्ज है नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 99 में खसरा नम्बर 407 रकबा 5.11 बीघा भूमि गैर मु. आबादी दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि सेटलमेन्ट के समय से गैर मु. आबादी में दर्ज थी। परन्तु सेटलमेन्ट के बाद वर्तमान जमाबन्दी में गैर मु. रास्ता दर्ज है खसरा नम्बर 407 मे सरपंच द्वारा पट्टे जारी किये गये जिनका पंजीयन करवाया गया परन्तु प्रार्थी द्वारा आवासीय पट्टे का पंजीयन नही करवाया गया था। वर्तमान में भूमि गैर मु. रास्ता दर्ज है इसलिए पंजीयन नही किया जा सकता। इस सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा बताया कि ग्राम बटावदा उचा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2079 से स्थायी में खसरा नम्बर 407 रकबा 1.4038 है0 किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज है ग्राम बटावदाउचा की सेटलमेन्ट जमाबन्दी में खसरा नम्बर 407 रकबा 5.11 बीघा किस्म गैर मु. आबादी दर्ज है अगली चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2012 तथा सम्वत् 2018–2020 बनने के दौरान सहवन से खसरा नम्बर 407 में भूमि किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज हो गई तब से लेकर वर्तमान चौसाला जमाबन्दी तक भूमि किस्म गैर मु. रास्ता चली आ रही है ग्राम बटावदा उचा के राजस्व नक्शे (सम्वत् 2010) में खसरा नम्बर 407 में आबादी का चिन्ह ( ][ ) बना हुआ है तथा मौके पर खसरा नम्बर 407 में आबादी बसी हुई है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर सहवन से हुई त्रुटि को सुधार कर राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बटावदा उंचा के खसरा नम्बर 407 रकबा 1.4038 है0 गैर मु. रास्ता के स्थान पर गैर मु. आबादी दर्ज करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा